

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग - 2

संख्या / 3465 (11) / 12-2-85 / एस-2 / 84

लखनऊ : दिनांक 4 जुलाई, 1985

अधिसूचना

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन बनाये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड-12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ - 2 में उल्लिखित पदधारियों को निरीक्षक नियुक्त करते हैं और उनकी अधिकारिता का क्षेत्र जैसा कि प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के स्तम्भ - 4 में उल्लिखित है, परिभाषित करते हैं।

क्र.सं. पदधारी का पदनाम	मुख्यालय	अधिकारिता का क्षेत्र
1. संभागीय संयुक्त/उप कृषि निदेशक	संभागीय मुख्यालय	संभाग के सभी जिले
2. परियोजनाधिकारी, अलीगढ़	अलीगढ़	जिला अलीगढ़
3. जिला कृषि अधिकारी और परियोजना- धिकारी/जिला कृषि अधिकारी	जिला मुख्यालय	सम्पूर्ण जिला
4. फॉर्म प्रबन्ध अधिकारी	संभागीय मुख्यालय	संभाग के सभी जिले
5. दलहन विकास अधिकारी	संभागीय मुख्यालय	संभाग के सभी जिले
6. विषय वस्तु विशेषज्ञ	जिला मुख्यालय	सम्पूर्ण जिला
7. अपर जिला कृषि अधिकारी	जिला/तहसील मुख्यालय	संबंधित जिला/तहसील

आज्ञा से
पी. सी. शर्मा
सचिव

सं. - [1]/12[2] / एस-2/84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
5. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. बीज एवं तराई विकास निगम, लखनऊ।
7. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र., इलाहाबाद को उक्त विज्ञप्ति के अंग्रेजी रूपान्तर सहित गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
9. कृषि सचिव के निजी सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से

के. पी. श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव